



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1619]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937

No. 1619]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SRAVANA 9, 1937

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

New Delhi, the 31st July, 2015

का.आ 2100(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार श्री पी. वी. सुब्बा राव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अधिकार प्रदान करती है।

S.O. 2100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers Shri P. V. Subba Rao, Joint Secretary to the Government of India, for the purpose of the said Section.

[फा. सं. 671/18/2001-कस्टम-VIII]

[F. No. 671/18/2001-Cus.-VIII]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

M. L. SHARMA, Under Secy.